गोपनीय 187

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक / सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

SIV-24/2023

पत्र संख्या–2022/06/00174/PC/V1/G/HQ

दिनांक- 4 .10.2023

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रमुख वित्त सलाहकार, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/ रे.सु.ब./ प्रयागराज, प्रमुख मुख्य संकेत एव दूर संचार इंजी., प्रमुख मुख्य सामिग्री प्रबन्धक, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य यातायात प्रबन्धक, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड, मुख्य कारख़ाना प्रबन्धक/झाँसी व सिथौली, मण्डल रेल प्रबन्धक/प्रयागराज, झाँसी & आगरा, सचिव/महाप्रबंधक, सहायक सचिव (गोपनीय)/ महाप्रबंधक।

बिषय:–उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत अधिकारिओ द्वारा प्रत्येक वर्ष कलेंडर वर्ष की समाप्ति उपरांत समाप्त हुए वर्ष की 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक क्रय/विक्रय की गयी अचल संपत्ति की घोषणा करने के संबंध में।

****

सतर्कता द्वारा जाँच में पाया गया हैं कि उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत अधिकारिओ द्वारा प्रत्येक वर्ष कलेंडर वर्ष की समाप्ति उपरांत समाप्त हुए वर्ष की 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक क्रय/विक्रय की गयी अचल संपत्ति की घोषणा नहीं की जा रही हैं जिसके दृष्टिगत सतर्कता द्वारा निम्नांकित कार्य प्रलाणी सुधार (SIV) लागू किए जाने की अनुशंसा की जाती हैं।

(i) सभी प्रमुख/मुख्य विभागाध्यक्षो, मण्डल रेल प्रबन्धको व मुख्य कारख़ाना प्रबन्धको द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारिओ को प्रत्येक वर्ष कलेंडर वर्ष की समाप्ति उपरांत समाप्त हुए वर्ष की **<u>01 जनवरी से 31 दिसम्बर</u>** तक क्रय/विक्रय की गयी अचल संपत्ति की घोषणा **<u>आगामी वर्ष कि 31 जनवरी</u>** तक ऑन लाइन करने हेतु निर्देश प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाना चाहिए और यदि कोई अधिकारी आगामी 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न ऑन लाइन नहीं भरता हैं तो संबन्धित प्रमुख/मुख्य विभागाध्यक्ष, मण्डल रेल प्रबन्धक व मुख्य कारख़ाना प्रबन्धक द्वारा उस अधिकारी से लिखित रूप में 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न न भरने का कारण पूछा जाना चाहिए और संतोषजनक जवाब न देने पर संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाई किया जाना चाहिए।

(ii) सभी प्रमुख/मुख्य विभागाध्यक्षो, मण्डल रेल प्रबन्धको व मुख्य कारख़ाना प्रबन्धको को अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारिओ का बिभिन्न अवसरो जैसे पदोन्नति, डेपुटेसन, पासपोर्ट आदि पर सतर्कता से मांगे जाने वाले Vigilance/SPE clearance लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबन्धित अधिकारी द्वारा अपना अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न भरा जा चुका हैं यदि संबन्धित अधिकारी द्वारा अपना अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न नहीं भरा गया हैं तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी का Vigilance/SPE clearance सतर्कता से तब तक न मांगा जाए जब तक उसके द्वारा अपना अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न भर न दिया जाए और सभी अधिकारिओ का सतर्कता से Vigilance/SPE clearance प्राप्त करने हेतु सतर्कता को लिखे जाने वाले पत्र में यह अनिवार्य रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि **<u>"संबन्धित अधिकारी द्वारा वर्ष------------- का अपना अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न भरा जा चुका हैं"</u>**।

अतः अनुरोध हैं कि उपरोक्त को सज्ञान में लेते हुए इसे प्रभावी बनाने कि दिशा में उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें साथ ही उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन के संबंध में कि गयी कृत से इस कार्यालय को भी अवगत कराने कि व्यवस्था करें।

(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधि./यां.
कृते महाप्रबन्धक (सतर्कता)

4/10/23